पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री पवन कुमार यादव पुत्र श्री मुंगाराम यादव, निवासी ढाणी ढेरावाली ग्राम मंडुसीया पो. अजितगढ़ सीकर, मैसर्स–एस.एम.इन्डस्ट्रीज, एच–101 रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया अजितगढ़ जिला सीकर, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.02.2021 को समय 03:15 पी.एम. पर नीमकाथाना–सीकर में निरीक्षण के लिए मैसर्स–एस.एम.इन्डस्ट्रीज, एच–101 रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया अजितगढ़ जिला सीकर, पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे मैसर्स–एस.एम.इन्डस्ट्रीज, में अप्रार्थी श्री पवन कुमार यादव, धनिया पाउडर का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। श्री पवन कुमार यादव से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2021 होना बताया व दिखाया।

फर्म पर श्री पवन कुमार यादव द्वारा धनिया पाउडर का विक्रय किया जा रहा था। मैसर्स पर उपलब्ध लगभग 100 कि.ग्राम स्थील की पारात धनिया पाउडर के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच, 4X500 ग्राम धनिया पाउडर खरीदा जिसकी किमत विक्रेता को 200रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अवमानक धनिया पाउडर** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्मना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2179 खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अवमानक धनिया पाउडर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण के 31,000 रू का जुर्मना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्मना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्मना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 31.08.202[illegible] को [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:25 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना, सीकर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner